

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एस्टे/डीईएस/मंत्रा/अ.अ./280/1065

दिनांक 29-06-2021

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित मंत्रालयिक कार्मिकों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की स्वीकृति उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित शर्तों के अध्वधीन निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र.स.	नाम कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री	विभाग/कार्यालय का नाम	परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा विवरण
1	2	3	4
1.	तरुण कुमार मीना	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, रेवदर, सिसोही	एम.ए. पूवार्द्ध परीक्षा (गणित)-21
2.	राम गोपाल मीना	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, पिण्डवाडा, सिसोही	एम.ए. उत्तरार्द्ध परीक्षा (अर्थशास्त्र)-21
3.	जयप्रकाश शर्मा	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, करौली	उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर
4.	निशा	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, चूरु, चूरु	रीट भर्ती परीक्षा 2021, एम.एस.सी. उत्तरार्द्ध गणित परीक्षा 2020-21
5.	अक्षय मीणा	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, देवली, टोंक	JVVNL- कनिष्ठ अभियन्ता परीक्षा 2021
6.	वीणा छंगाणी	उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीकानेर	रीट भर्ती परीक्षा 2021
7.	लाखन मीना	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, पिडावा, झालावाड़	RPSC-राजस्थान पुलिस, एस. आई. 2021, एम.एस.सी गणित पूवार्द्ध 2020
8.	सौरभ कुमार अवरथी	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, उनियारा, टोंक	रीट भर्ती परीक्षा 2021
9.	दयाल राम	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, पीसांगन, अजमेर	RPSC-राजस्थान पुलिस, एस. आई. 2021
10.	सुनील मीणा	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, मनोहर थाना, झालावाड़	RPSC-राजस्थान पुलिस, एस. आई. 2021
11.	राम पाल	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, लोहावट, जोधपुर	RPSC-राजस्थान पुलिस, एस. आई. 2021
12.	स्वाति शर्मा	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, नवलगढ़, झुंझुनू	SSC CGL-2020-21

13.	अमित पचेरवाल	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, भीम, राजसमन्द,	संयुक्त हायर सैकण्डरी स्तर परीक्षा- 2020, संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा- 2020
14.	लेखराज	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भरतपुर	वी.ए. अर्थशास्त्र
15.	सुनिता वर्मा	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, रतनगढ़, चुरु	रीट भर्ती परीक्षा 2021
16.	रामावतार	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, राजगढ़, चुरु	राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट / जेआरएफ) 2021, RPSC-राजस्थान पुलिस, एस. आई. 2021
17.	गिराज भीणा	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, झालावाड	RPSC-राजस्थान पुलिस, एस. आई
18.	आकाश कुमार भाम्बी	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, डूंगला, चित्तौड़गढ़	रीट भर्ती परीक्षा 2021, RPSC-राजस्थान पुलिस, एस. आई


राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 के द्वारा निधारित शर्तें:-

1. राजसेवक का शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
3. प्रत्येक वर्ष/परीक्षा के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगी।
6. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन के कारण राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
8. अध्ययन संस्थान में राजसेवक की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग की किसी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जावेगा।




10. विभाग द्वारा प्रशासनिक कारणों से अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

उपरोक्त कार्मिक को शर्तों के अध्ययन निर्देशित किया जाता है कि अध्ययन/परीक्षा में भाग लेने की अनुमति की विभाग द्वारा समीक्षा तथा उनके शिक्षण संस्थानों से उनके अध्ययन एवं संस्थान में उनकी उपस्थिति इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जावेगी। यदि कार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के अनिवार्य वांछित शर्तों के साथ-साथ अध्ययन की स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनके द्वारा धारित की गई डिग्री/प्रमाण-पत्र को अभिलेख पर नहीं लिया जावेगा और अपचारी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिय कार्यवाही की जावेगी।


(मिसाराम प्रजापत)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. सम्बन्धित विभाग
3. सम्बन्धित कर्मचारी श्री
4. रक्षित पत्रावली।


(सुभाष चन्द्र शर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)